CUTS International

PRESS RELEASE

CONSUMER UNITY & TRUST SOCIETY - A registered, recognised, non-partisan, non-profit and non-government organisation pursuing social justice and economic equity within and across borders

सांसदों ने एक स्वर में मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2016 को तुरंत पास करने की मांग की

नई दिल्ली, नवम्बर 16, 2016

लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने 'कट्स' द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'पारफोर' मीटिंग में एक स्वर में मोटर वाहर अधिनियम, 2016 को तुरंत पास करने की मांग रखी।

उपरोक्त सभी सांसदों ने 'आर्थिक नीतियों व मुद्दों पर सांसदों का मंच (पारफोर)', जो कि एक गैर राजनीतिक मंच है जो विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श का एक सशक्त मंच है, के माध्यम से यह मांग रखी।

सांसदों ने मीटिंग में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा ड्राइविंग लाइसेन्सिंग सिस्टम, प्रभावी इलेक्ट्रोनिक क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये। माननीय सांसदों ने सड़क दुर्घटनाओं की वैज्ञानिक जांच तथा नये बिल में बीमित व्यक्ति की थर्ड पार्टी के प्रति दुर्घटना की जिम्मेदारी की सीमा हटाये जाने की महत्ती आवश्यकता बताई।

श्री जी.के. पिल्लई, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार ने मीटिंग की शुरूआत में नये बिल का परिचय, सुझाये गये संशोधनों, प्रमुख कमियों व सुझावों की विस्तृत विवेचना की।

जोस के. मणि, सांसद (केरल कांग्रेस) ने कहा कि आजकल सामान्यतः सड़कों की स्थिति अच्छी होने तथा उच्च गति क्षमता के दुपहिया व चौपहिया वाहनों के उपलब्ध होने से काफी दुर्घटनाये हो रही हैं जिसमें हजारों युवा मारे जा रहे हैं। अतः 'स्पीड गवर्नर' की अनिवार्यता सुनिश्चित होनी चाहिए।

दिनेश त्रिवेदी, सांसद (तृणमूल कांग्रेस) व पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय सड़कों पर ड्राइविंग काफी डरावनी हो गई है। अत संयमित वाहन चालन हेतु तकनीकि निगरानी का उपयोग व गैर जिम्मेदार वाहन चालकों में भय पैदा करना अति आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हवाई यात्राओं के प्रबन्धन में उपयोग लाई जा रही तकनीकों जैसी तकनीक मोटर वाहन हेतु नहीं लाई जाएगी तब तक इस नये बिल का कोई ज्यादा फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा।

हरीश चन्द्र मीणा, सांसद, भाजपा एवं पूर्व पुलिस प्रमुख, राजस्थान जो कि बिल की प्रमुख समिति के सदस्य भी है, ने कहा कि हमें सड़क सुरक्षा के बारे में सोचने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि असली 'रोड़ यूजर' कौन है? क्योंकि सड़क ऐसी जगह है जहां बारात, धरने, प्रदर्शन, ढ़ाबा, कियोस्क, बैलगाड़ी, पैदल चलने वाले, किसानों के जानवर, साईकिल, दुपहिया वाहन, ट्रक व कार इत्यादि होती है। इनमें से असली रोड़ यूजर कौन है? उसको परिभाषित कर उसकी सम्पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक्सप्रेस हाईवे इत्यादि की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो गांवों, कस्बों व शहरों को दो हिस्सों में नहीं बांटे। वर्ना ग्रामीणों का प्रतिदिन का आवागमन बाधित होता है एवं दूसरी तरफ सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है।

मीटिंग में लोकसभा व राज्यसभा के अन्य सांसदों यथा रंगासामी रामकृष्ण (सांसद, कर्नाटक), ला– गणेशन (मध्य प्रदेश), एन.के. प्रमचन्द्रन (सांसद, केरल), पी. भट्टाचार्य (पश्चिम बंगाल), व तिरूची सिवा (तमिलनाडू) ने भी अपने विचार व्यक्त किये एव कई मुद्दे उठाये।

उन्होंने कहा कि नव सिखिये वाहन चालकों की एल्कोहल सीमा में कमी, सड़क दुर्घटना सहायता कोष की स्थापना, स्टेज कैरिज की अनुमति, बच्चों की सुरक्षा के प्रावधानों की मुखर रूप से मांग की। सभी सांसदों में एक राय थी कि जिस संख्या में सड़क दुर्घटनाओं में भारतीयों की मृत्यु हो रही है, उसको देखते हुए ये बिल तुरंत पास किया जाना चाहिए, मगर इसमें सख्त प्रावधानों को रखने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए।

'कट्स' के निदेशक श्री जॉर्ज चेरियन ने कहा कि इस मीटिंग में सांसदों के उत्साह व चिंता से वाहन चालन अधिनियम, 2016 की महत्ता का पता चलता है। उन्होंने आगे कहा कि चर्चा के दौरान उठाये गये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों व सुझावों का संकलन कर यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा जिससे कि सांसदों की स्वाभाविक चिंता व सुझााव आगामी बिल का हिस्सा बन सकें।

———————————————————————————————————————

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

मधुसूदन शर्मा
वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक
'कट्स', जयपुर
फोनः 0141–228 2821
मो.: 94608 70097